कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई
जन स्वास्थ्य विभाग
N.I.T.

विषय :– आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर आस–पास के जंगल में छोड़ने के संबंध में।

क्रं.	कार्य विवरण	दर अंको में प्रति नग	दर शब्दों में
1.	आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर आस–पास के जंगल में छोड़ने बाबत्।		

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

जन स्वास्थ्य विभाग

विषय :– आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर आस–पास के जंगल में छोड़ने के संबंध में।

नियम एवं शर्ते :–

आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर आस–पास के जंगल में छोड़ने हेतु निम्नानुसार नियम शर्त लागू होगी :–

1. नगर पालिक निगम भिलाई में लगभग 2700 आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर आस–पास के जंगल में छोड़ने हेतु निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः–
   - ए. कार्यादेश जारी होने के उपरांत जोनवार अभियान चलाकर सूअरों को पकड़ा जाना होगा, उक्त अभियान में निविदाकार के टीम के साथ नगर निगम के संबंधित स्वच्छता निरीक्षक की टीम उपस्थित रहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में पकड़े जाने वाले सूअरों का पंजी में दर्ज किया जावेगा और फोटोग्राफ्स लेना अनिवार्य होगा।
   - बी. पकड़े गये सूअर को शहर के बाहर आस–पास के जंगल में छोड़ना अनिवार्य होगा।
   - सी. पकड़े गये सूअरों का विवरण हेतु एक पंजी निविदाकार/संबंधित जोन के स्वच्छता निरीक्षक द्वारा संधारित की जायेगी
   - डी. निगम के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में सूअरों को शहर के बाहर जंगल में छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।
   - ई. उक्त कार्य हेतु निविदा दाता को स्वयं की वाहन (वाहन चालक, हेल्पर, आवश्यकतानुसार कर्मचारी एवं ईधन सहित) उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदादाता को आवेदन शुल्क रु. 750/– निगम कोष में जमा करना होगा एवं निर्धारित धरोहर राशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी. आर. के रुप में कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई एवं ऑफरकर्ता के संयुक्त नाम से जमा करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता को लिफाफा अ में धरोहर राशि की एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज तथा लिफाफा ब में आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर जंगल में छोड़ने के कार्य हेतु अपनी दर प्रस्तुत करनी होगी। दोनों लिफाफे को लिफाफा स में डालकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा कार्यपालन अभियंता/स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई (छ.ग.) को प्रस्तुत करना होगा।
4. लिफाफा खोले जाने के समय एजेंसी/फर्म या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
5. निविदादाता द्वारा पकड़े गये सूअर को मार्केट में विकय करते पाये जाने की दशा में प्रति सूअर रु. 3000.00 की अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो उनके देयक से कटौती की जावेगी।
6. सफल निविदादाता को अनुबंध हेतु पत्र दिया जावेगा जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना अनिवार्य होगा, समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं द्वितीय ऑफरकर्ता को यह कार्य दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
7. उक्त कार्य की कार्यावधि एक वर्ष तक होगी, आवश्यकतानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कार्यावधि में वृद्धि किया जा सकता है।
8. निविदा स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई